तीसरी अनुसूची

(धारा 54 देखिए)

मद का वर्णन और उसकी छूट	प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 0703 20 00 के अंतर्गत आने वाले ताजा लहसून को, जो नेशानल कंज्यूमर को-ओपरेटिव फेडरेशन और मध्य प्रदेश को-ओपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई और 15 जनवरी, 2003 के पश्चात् निकाली गई आयात अनुज्ञप्ति के अधीन आयात किया गया है, उतने सीमाशुल्क से, जो मूल्यानुसार तीस प्रतिशत से अधिक है, छूट प्रदान करती है ।	15 जनवरी, 2003

http://indiabudget.nic.in